जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342003 फोन नं. 0291 2742229 – 5106032 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870
जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) फेक्स न 2740121

क्रमांकः– जोविविनिलि / प्रनि / अनु–पीपीएण्डएम / फा. / प्रे.स. 2231 , जोधपुर, दिनांक- 15.12.09

# आदेश

विषयः– श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले के नहरी सिचिंत क्षैत्र में स्थित डिग्गियों को विद्युत कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में ।

उप शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्रांक एफ–12(10) ऊर्जा / 2006 दिनांक 27–11–2009 एवं दिनांक 3 / 4–12–2009 द्वारा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों के नहरी सिचिंत क्षैत्र में स्थित डिग्गियों को विशेष श्रेणी के अन्तर्गत थ्री फेज कनेक्शन जारी किए जाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की है ।

तत्सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश पालनार्थ जारी किए जाते है :–

1. इस योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिले के नहरी सिचिंत क्षैत्र में स्थित डिग्गियों को बूंद–बूंद / फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिये जारी किए जायेंगे ।
2. आवेदन केवल विद्युतीकृत गांवों में ही स्वीकार किए जावेंगे ।
3. उक्त योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन विशेष श्रेणी के अन्तर्गत थ्री फेज सप्लाई द्वारा ही डिग्गियों के उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा डिग्गियों पर बूंद–बूंद / फव्वारा सिंचाई प्रणाली के संस्थापन के पश्चात् कृषि विभाग / उद्यानिकी विभाग के सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी या उक्त विभागों से अधिकृत अधिकारी की अनुशंषा युक्त संलग्न प्रारुप में प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही जारी किए जाएंगे तथा उक्त प्रमाण पत्र के साथ ही आवेदन स्वीकार किए जाऐंगे ।
4. उक्त कनेक्शन कृषि श्रेणी के अन्तर्गत विशेष श्रेणी में जारी किए जाने वाले कनेक्शनों में उच्च प्राथमिकता ( Out of Priority ) पर जारी किए जाएंगे तथा उक्त कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदनों की वरीयता उप खण्ड स्तर पर अलग से संधारित की जाएगी ।
5. उक्त कनेक्शन जारी करने के लिए खींची जाने वाली 11 के.वी. लाईन एवं 11 / 0.4 के.वी. सब स्टेशन की सम्पूर्ण लागत तथा सर्विस कनेक्शन चार्जेज आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे ।
6. वर्तमान में इस पद्धति पर दिये जाने वाले कनेक्शन विद्युत शुल्क अनुसूची Ag/MS/LT-4 के अन्तर्गत निम्न दरों पर दिये जावेंगे :–
   - स्थाई प्रभार (सी 1) – रुपये 50 प्रति कनेक्शन प्रति माह
   - ऊर्जा प्रभार (सी–2(iii)) – 210 पैसा प्रति यूनिट
   - न्यूनतम बिलिंग (डी–(iii)) – रुपये 200 प्रति हा.पा. प्रति माह

7. उक्त योजनान्तर्गत जारी कनेक्शनों को सम्बन्धित उप खण्ड में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष सामान्य श्रेणी के कनेक्शन जारी होने पर सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायगा ।

8. उक्त योजनान्तर्गत जारी कनेकशनों को भी थ्री फेज विद्युत सप्लाई समय समय पर इस सम्बन्ध में जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार विभिन्न ब्लॉकों में ही दी जाएगी ।

9. उक्त योजना तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है ।

संलग्न : प्रमाण पत्र का प्रारूप

उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. अध्यक्ष, डिस्कॉम, जयपुर ।
4. निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5. निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
6. जिला कलक्टर, बीकानेर / हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर ।
7. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
8. मुख्य अभियन्ता ( बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर ।
9. मुख्य लेखाधिकारी (आर०एण्ड ए० / आई०ए० / डब्लू०एण्ड एम०), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जयपुर ।
10. अधीक्षण अभियन्ता – प्रावै०सहा० प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
11. अधीक्षण अभियन्ता ( पवस / सतर्कता / आर.ए.एण्ड सी. / टी.डब्लू. / एम.एम.एण्ड सी. / एम.एण्ड पी.), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर / हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर ।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
13. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर ।
15. लेखाधिकारी (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर / हनुमानगढ / श्रीगंगानगर
16. उप निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर / हनुमानगढ / श्रीगंगानगर।
17. सहायक निदेशक, उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर / हनुमानगढ / श्रीगंगानगर ।
18. कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
19. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।